कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)–492002
Phone No.- 0771-2972780, Fax No.- 2972782,
Website- https://vyapam.cgstate.gov.in

क्रमांक/व्यापम/2022/03 रायपुर, दिनांक 01-01-22

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET20) के प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालक, राज्य शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET20) का आयोजन दिनांक 09 जनवरी 2022 को दो पालियों में किया जायेगा । प्रथम पाली में कक्षा एक से पॉच तक अध्यापन पात्रता हेतु परीक्षा पूर्वान्ह 9:30 से 12:15 बजे तक एवं द्वितीय पाली में कक्षा छः से आठ तक अध्यापन पात्रता हेतु परीक्षा अपरान्ह 2:00 से 4.45 बजे तक होगी ।

उपरोक्त पात्रता परीक्षाओं के प्रवेश पत्र व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनांक 01.01.2022 से अपलोड कर दिया गया है । अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर को एंटर कर अभ्यर्थी इंटरनेट से परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे । परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दिया जा सके ।

यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जावें । परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभॉति परिचित हो जावें । परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे –मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड (ई–आधार कार्ड भी मान्य)/ पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/ फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फेस कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मास्क को हटाना होगा । अभ्यर्थी अपने साथ हैण्ड सैनिटाइजर की छोटी पारदर्शी बॉटल रख सकते हैं। परीक्षा हॉल में एवं परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों को भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड–19 महामारी से बचाव के सम्बंध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करना होगा । निर्देशों का पालन न करने पर वीक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे ।

कृपया उक्त विज्ञप्ति परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

(डॉ. प्रदीप चौबे)
सलाहकार
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर